संख्या-22/2017-744 ई-2/तेरह-2017-110/2016

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 09 जून,2017

विषय- मे0 धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा एस0डी0एस0 के कैप्टिव उपभोग पर वर्ष 1991 से 1995 तक जमा परचेज टैक्स की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-121/दो -805ए (रिट)/2005, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं पत्र संख्या-जी-07/दो-805ए (रिट)/2005, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 1031/1995 धामपुर शुगर मिल्स बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-03-1999, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील दिनांक 22-7-2003 को एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका दि0 08-5-2015 एवं पुनर्विचार याचिका दि0 04-02-2016 को खारिज की जा चुकी है, के अनुपालन में मे0 धामपुर आसवनी, धामपुर, बिजनौर द्वारा वर्ष 1991 से वर्ष 1995 तक परचेज टैक्स के मद में जमा धनराशि रू0 65,74,247/-(रूपये पैंसठ लाख चौहत्तर हजार दो सौ सैंतालिस मात्र) वापस करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त धनराशि की वापसी सम्बन्धित कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि के पश्चात ही की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में जमा धनराशि की वापसी वर्ष 2017-18 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00800-अन्य प्राप्तियॉ- 90 घटायें वापसियां-00" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2017-744 ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त के माध्यम से।
(5) आबकारी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनुसचिव ।